Step 1: For registration, pl visit the portal

https://pmsuryaghar.gov.in

Step -2: Provide details like State, District ,Electricity Distribution Co., Electricity Consumer ID, Mobile no. & email id and

Complete your Registration.

Step-3: Re-login in same portal with registered mobile No.

Feasibility approval will be provided by DISCOM (If applicable) and

Application ID will be generated.

Step 4:To apply for loan, visit portal

https://www.jansamarth.in and log in with registered mobile no. or e-mail ID.

Select Loan from SBI

Step 5: Submit application ID (generated at PMSGY site), DISCOM ID & mobile no.

Step 6: Also submit, some other basic details, financial details, vendor

details & bank details.

Step 7: Digital in-principle approval letter generated for the customer.

Step 8: Your application is received at SBI for processing. If sanctioned. 70% amount is remitted to vendor after documentation.

Step 9: Get the plant installed by registered vendor and apply for net meter.

Step10: DISCOM will install net meter, generate commissioning certificate and provide it at PMSGY portal.

Step 11: Submit Bank account details & a cancelled cheque at PMSGY portal.

Step 12: Receive subsidy in your SBI Loan account, once it is released by GOI.

Step13: The steps mentioned here are indicative only, for understanding purposes.

For product related queries/issue, you may write to cm4.retailloans@sbi.co.in with copy to dgmecom.pbbu@sbi.co.in

चरण 1: पंजीकरण के लिए कृपया पोर्टल पर जाएं

https://pmsuryaghar.gov.in

चरण -2: राज्य, जिला, विद्युत वितरण कंपनी, विद्युत ग्राहक आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे विवरण दर्ज करें और अपना पंजीकरण पूरा करें

चरण-3:उसी पोर्टल में अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ री-लॉगिन करें

डिसकॉम (यदि लागू है) द्वारा व्यवहार्यता अनुमोदन दिया जाएगा और आवेदन आईडी जनरेट किया जाएगा

चरण 4-लोन आवेदन के लिए

https://www.jansamarth.in पोर्टल पर जाएं और पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करें

एसबीआई से लोन चुनें

चरण 5-आवेदन आईडी (पीएमएसजीवाई साइट पर जनरेट किया गया) डिसकॉम आईडी और मोबाइल नंबर सबमिट करें

चरण 6- अन्य कुछ आधारभूत विवरण, वित्तीय विवरण, वेंडर विवरण और बैंक विवरण प्रस्तुत करें।

चरण 7-ग्राहक के लिए डिजिटल सैद्धांतिक अनुमोदन पत्र जनरेट किया जाता है

चरण 8-आपका आवेदन एसबीआई में प्रोसेसिंग के लिए प्राप्त होता है। संस्वीकृति पर डॉक्यूमेंटेशन के बाद वेंडर को 70% राशि का भुगतान किया जाएगा।

चरण 9- : संयंत्र को अधिकृत वेंडर से स्थापित कराएँ और नेट मीटर के लिए आवेदन करें।

चरण-10 :डिस्कॉम नेट मीटर लगाएगा, कमीशनिंग प्रमाणपत्र जनरेट करेगा और इसे पीएमएसजीवाई पोर्टल में दर्ज करेगा।

चरण 11-पीएमएसजीवाई पोर्टल पर बैंक खाता विवरण और एक कैंसल चेक सबमिट करें।

चरण 12-भारत सरकार द्वारा जारी करने पर अपने एसबीआई लोन खाते में अनुदान राशि प्राप्त करें।

चरण13-यहाँ दिए गए विवरण समझने के उद्देश्य से संकेत मात्र हैं।

प्रोडक्ट संबंधी प्रश्न/समास्या के लिए cm4.retailloans@sbi.co.in को ईमेल करें और इसकी प्रति dgmecom.pbbu@sbi.co.in को भेजें